न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलक्टर) बांसवाड़ा (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी – नरेश बुनकर, RAS

अतिरिक्त जिला कलक्टर, बांसवाड़ा
प्रकरण संख्या : 50 / 2021
रजिस्ट्रेशन नं. :2021 / 56

राजस्थान राज्य जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी बॉसवाडा	बनाम	अभियुक्त :– श्री अमृतलाल कलाल पुत्र श्री केशुराम कलाल मालिक विक्रेता मैसर्स कमलेश कुमार दिलीप कुमार मेनरोड, छोटी सरवन जिला बॉसवाडा (राज.)

अपराध अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(ii) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006, नियम 2011

निर्णय

दिनांक 15–11–2021

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि श्री अशोक कुमार गुप्ता खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बॉसवाडा हाल उदयपुर (राज.) के द्वारा दिनांक 06–10–2021 को यह इस्तगासा इस आशय का पेश किया गया कि दिनांक 01–11–2020 को 11.40 ए.एम. बजे बाहैसियत खाद्य सुरक्षा अधिकारी खाद्य पदार्थो की जाँच हेतु मैसर्स कमलेश कुमार दिलीप कुमार मेनरोड, छोटी सरवन पर पहुंचा। इस समय संस्थान पर श्री अमृतलाल कलाल पुत्र श्री केशुराम कलाल उपस्थित थे। निरीक्षण के दौरान विक्रेता की दुकान पर रिफाइण्ड सोयाबीन ऑयल (पराग गोल्ड) 250 एम.एल वाली 20 बोतल मूल ही, कम्पनी पैक, सील बन्द स्थिति में आम जनता को विक्रय हेतु रखे पाये। इसमे मिस ब्राण्ड, अनसेफ एवं सब स्टेण्डर्ड का शक होने पर विक्रेता को फार्म नं.5ए पर उक्त रिफाइण्ड सोयाबीन ऑयल (पराग गोल्ड) 250 एम.एल वाली 8 बोतल मूल ही, कम्पनी पैक, सील बन्द स्थिति में जॉच हेतु खरीदे तथा इनकी कीमत 360 रु. विक्रेता को चुका कर रसीद प्राप्त की। जिस पर विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक की। वास्ते निरीक्षण खाद्य पदार्थ विक्रय अनुज्ञापत्र / रजिस्ट्रेशन – 2020 दिखाने को कहा जिस पर विक्रेता ने खाद्य पदार्थ विक्रय अनुज्ञप्ति / रजिस्ट्रेशन [illegible] किया। जॉच हेतु खरीदशुदा उक्त रिफाइण्ड सोयाबीन ऑयल (पराग गोल्ड) 250 एम.एल [illegible] 8 [illegible]तल के चार भाग बनाये (प्रत्येक भाग में [illegible] धागे से बांधी) उक्त चारो भागो उक्त खाद्य पदार्थ की 250 [illegible] को नियमानुसार कार्यवाही कर सील ब[illegible] किया एवं अपने जा[illegible] किया। एक नमूना भाग मय फार्म नं. 6 की प्रति आउटकवर में सील बन्द कर सील मोहर कर जांच हेतु खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, बॉसवाडा को जमा करवाया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Bunkar
Date: 2022.04.18 13:01:15 IST
Reason: SelfAttested

अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा के पत्रांक एफ.एस.एस.ए/2020/281 दिनांक 11.11.2020 एव खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 248 दिनांक 07.11.2020 अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय की गई रिफाइण्ड सोयाबीन ऑयल (पराग गोल्ड) Contravention of Regulation 2.2.2(10) of food safety & standards (Pakaging & Labelling) Regulation 2011 पाये जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 3(1)(Zf)(C)(i) के तहत मीसब्राण्डेड पाया गया रिफाइण्ड सोयाबीन ऑयल (पराग गोल्ड) विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) अधिनियम की धारा 52 के अन्तर्गत एवं उक्त माल कहॉ से प्राप्त किया है कि जानकारी नही देकर धारा 27 (3)(d) सहपठित धारा 26 (2)(V) का उल्लंघन किया है। जिस पर उक्त अधिनियम 58 के तहत् एवं धारा 31(2) के तहत विक्रय रजिस्ट्रेशन नही प्रस्तुत करने के कारण जुर्माने से दण्डित करने निवेदन किया।

प्रकरण दिनांक 11-10-2021 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर आरोपी को जरिये समन तलब किया गया।

दिनांक 15-11-2021 को अभियुक्त श्री अमृतलाल कलाल पुत्र श्री केशुराम कलालं ने प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत् अपना अपराध स्वीकार कर निवेदन किया कि न्यायालय जो भी जुर्माना करे, वह स्वीकार है।

प्रकरण में आरोपी द्वारा अपराध स्वीकार कर लेने के कारण अन्य किसी साक्ष्य की अब आवश्यकता नहीं रहती है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं अभियुक्तगण को सुना। पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखों का भी गहनता पूर्वक अवलोकन किया एवं उस पर मनन किया। अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा के पत्रांक एफ.एस.एस.ए/2020/281 दिनांक 11.11.2020 एव खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 248 दिनांक 07.11.2020 अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय की गई रिफाइण्ड सोयाबीन ऑयल (पराग गोल्ड) Contravention of Regulation 2.2.2(10) of food safety & standards (Pakaging & Labelling) Regulation 2011 पाये जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 3(1)(Zf)(C)(i) के तहत मीसब्राण्डेड होना पाये जाने से विक्रेता द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) व धारा 31 (2) एवं धारा 26 (2)(V) का उल्लंघन होना पाया गया। प्रकरण में अभियुक्तगण द्वारा स्वयं अपराध

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Bunkar
Date: 2022.04.18 13:01:15 IST
Reason: SelfAttested

स्वीकार किया है। ऐसी स्थिति में अब किसी अन्य साक्ष्य की आवश्यकता प्रतीत नही होती हैं। इस कारण प्रकरण का अंतिम निस्तारण किया जाना हम उचित समझते है।

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 3(1)(Zf)(C)(i) के तहत मीसब्राण्डेड पाया गया रिफाइण्ड सोयाबीन ऑयल (पराग गोल्ड) विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) अधिनियम की धारा 52 के अन्तर्गत एवं उक्त माल कहॉ से प्राप्त किया है कि जानकारी नही देकर धारा 27 (3)(d) सहपठित धारा 26 (2)(V) का उल्लंघन किया है। जिस पर उक्त अधिनियम 58 के तहत् एवं धारा 31(2) के तहत विक्रय रजिस्ट्रेशन नही प्रस्तुत करने पर आरोपी को दोष सिद्ध घोषित किया जाकर जाकर श्री अमृतलाल कलाल पुत्र श्री केशुराम कलाल मालिक विक्रेता मैसर्स कमलेश कुमार दिलीप कुमार मेनरोड, छोटी सरवन जिला बॉसवाडा (राज.) को 20000/- (बीस हजार) के अर्थ दण्ड से दण्डित किया जाता है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम 2011 के 3.1.2 के बिन्दू संख्या 3 में उल्लेखित आय मद 0210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, 04-लोक स्वास्थ्य, 800-अन्य प्राप्तियां, (03)-खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा-पत्र शुल्क आदि में उक्त जुर्माना राशि तीन दिवस में राजकोष में जमा कराकर चालान की प्रति इस न्यायालय में पेश करे।

निर्णय आज दिनांक 15-11-2021 खुले न्यायालय सुनाया गया।

(नरेश बुनकर)
न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति. जिला कलक्टर)
बांसवाड़ा (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Naresh Bunkar
Date: 2022.04.18 13:01:15 IST
Reason: SelfAttested